


Exdt
copy to let see, Distt, Bundi
Chhannam / Nam / Nazir / S.O. / N.B

जरिये ई-मेल

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था/2023/ 60

दिनांक : 02.12.2023



:: कार्यालय आदेश ::

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बून्दी के पत्रांक स्था/2022/05/02/9915 दिनांक 01.12.2023 से अनुमोदन के पश्चात् मैं रेनु शकीत, आर.जे.एस लिंक अधिकारी न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द.प्र.सं. की धारा 15(2) व (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह दिसम्बर, 2023 एवं 01 जनवरी, 2024 में निम्नलिखित न्यायालय के पीठारीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दौड़िक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकांडिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य हेतु अपने न्यायालय में बत प्रातः 11.00 ए.एम. से दोपहर 02.00 पी.एम.तक करने के लिये आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ -

माह दिसम्बर, 2023 एवं 01 जनवरी, 2024

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	इयूटी की दिनांक	मोबाईल नम्बर
1.	श्रीमती सोमा शर्मा, अति. मुख्य न्यायिक मजि., हिण्डोली जिला बून्दी	03.12.2023	9828325726
2	श्री विकास रोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन जिला बून्दी	09.12.2023	9950348629
3	श्री सुयश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-1, बून्दी	10.12.2023	7976762565
4	श्री सुनील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	17.12.2023	9057844085
5	श्रीमती सोनम आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला बून्दी	23.12.2023 24.12.2023 25.12.2023	7567836148
6	श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तालेड़ा	31.12.2023 01.01.2024	9460012914

नोट :-

- उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड इयूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व/पश्चात् दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उर्री अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठारीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उसके स्थान पर उक्त पीठारीन अधिकारी का रिमाण्ड इयूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड इयूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावगी।
- अभियुक्तमण को निर्धारित समय ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपत्तादिक परिस्थितियों में ही मुलाजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का रदाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।
- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी का असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे व इस कार्यालय द्वारा संबंधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय का परित्याग करें।
- अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिदेत्र से संबंधित उक्त कार्य करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)
(लिंक अधिकारी)


क्रमांक : सामा-य/2023/2234-2243

दिनांक : 02-12-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- (1) श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपयुक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (3) संबंधित पीठारीन अधिकारी (4) जिला आवकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, मारताधिकारी, आवकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक

न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियां में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी (7) अध्यक्ष, अभिगाथक परिषद, बून्दी. (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मेसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)
(लिंक अधिकारी)